कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/उत्तर मैट्रिक/2019–20/67 दिनांक : 15.10.19

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा,

विषय :– उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 के लिए पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाईन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि में संशोधन बाबत्।

प्रसंग :– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 9(4)(25) उ.मै.छा./सान्यअवि/पोर्टल/सरलीकरण/2018–19/सान्यअवि/60033–60233 दिनांक 10.10.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने प्रासंगिक पत्र द्वारा द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर की राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) के विद्यार्थियों द्वारा www.scholarship.rajasthan.gov.in पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाईन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

क्र.सं.	विषय वस्तु	पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि	नवीन निर्धारित अंतिम तिथि
1.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि	**30 सितम्बर 2019**	**31 अक्टूबर 2019**

उतर मैट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत जानकारी www.scholarship.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। साथ ही विभागीय वेबसाईट पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शेष शर्तें मूल विज्ञप्ति अनुसार रहेंगी।

15.10.19
प्रभारी अधिकारी (छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) को प्रेषित कर निवेदन है कि वे अपने अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करे।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रभावी मॉनेटरिंग करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

15.10.19
प्रभारी अधिकारी (छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.Rajegyan.in